कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 02.08.2026

🔷 थाना मुगलसराय व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का वांछित व 25000 रुपये के इनामिया 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

घटना- थाना मुगलसराय पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 21.05.2026 को वह अपनी फर्म शक्ति इंटरप्राइजेज, जतनबर, वाराणसी के सेल्समैन के रूप में पड़ाव से बहादुरपुर क्षेत्र की विभिन्न दुकानों से कलेक्शन कर नगद धनराशि अपने बैग में रखकर मोपेड से भोजपुर की ओर गया था। भोजपुर से पुनः वाराणसी लौटते समय ग्राम चौरहट के मुख्य मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों से आए करीब 05 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया तथा नगदी से भरा बैग लूटकर पड़ाव की ओर फरार हो गए। घटना के संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 250/2026, धारा 310(2)/317(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गई। विवेचना के दौरान उक्त अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त घटना में संलिप्त 05 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही- चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष मुगलसराय, विजय प्रताप सिंह, के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.08.2026 को मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा वांछित अपराधियों की तलाश एवं वाहन चेकिंग के दौरान फायर स्टेशन मुगलसराय के सामने मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 250/2026 धारा 310(2)/317(3) बीएनएस में वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश यादव मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर अपने किसी साथी से मिलने आया है। सूचना पर तत्काल घेराबंदी की गई। इसी दौरान स्टेशन की ओर से पड़ाव की तरफ आ रही एक मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर भागने लगा, वहां मौजूद पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं सतर्कता से घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान 1.आकाश यादव पुत्र शिवशंकर यादव, निवासी सराय नन्दन खोजवा, थाना भेलूपुर, जनपद वाराणसी के रुप में हुई। अभियुक्त की जामातलाशी के दौरान उसके कब्जे से 2300 नगद बरामद हुए। अभियुक्त मोटरसाइकिल के वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके चलते वाहन को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज कर दिया गया। उक्त गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.05.2026 को ग्राम चौरहट स्थित रामनगर-वाराणसी मार्ग पर एक व्यक्ति को बाइक से धक्का देकर गिराने के बाद उसके पैसों से भरे बैग की लूट की घटना में उसे अपने साथियों के साथ कुल 17,000 रुपए का हिस्सा मिला था, जिसमें से 2300 रुपए शेष बचे थे, तथा बाकी धनराशि खर्च हो चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.आकाश यादव पुत्र शिवशंकर यादव, निवासी मकान संख्या बी-34/2-29, सराय नन्दन खोजवा, थाना भेलूपुर, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 22 वर्ष।

अपराधिक इतिहास का विवरण-

1.मु0अ0सं0 250/2026 धारा 310(2), 317(3) बीएनएस थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

1- 2300 रुपए नगद (लूट की धनराशि)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अजय कुमार, चौकी प्रभारी जलीलपुर, थाना मुगलसराय

3.हे0का0 रजनीश राय, थाना मुगलसराय

4.हे0का0 गौरव सिंह, थाना मुगलसराय

एसओजी एवं सर्विलांस टीम-

1.निरीक्षक रामजनम यादव, प्रभारी स्वाट, जनपद चन्दौली मय टीम

2.उ0नि0 आशीष मिश्रा, प्रभारी सर्विलांस, जनपद चन्दौली मय टीम